

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

61/423

पत्रावली पेश हुई। उर्गी वकील उर्गी विपरीत  
 वकील उर्गी विपरीत वकील को जवाब पेश  
 करने के अतिरिक्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब  
 पेश नहीं किया जवाब खप किया जाता है।  
 वकील उर्गी के खपान पुनः का निपटन किया।  
 वकील उर्गी की खपान पुनः गई खपान पर भल  
 किया। पत्रावली एवं लिखित दस्तावेजों का  
 अपलोडन किया गया। जिससे उतीर होता है। उर्गी  
 वकील का अर्चना पत्र स्वीकार करने योग्य है उतः  
 ने खमखेपी निर्णय अस्तज से लिखा जाकर शक्ति  
 पत्रावली किया गया। पत्रावली फौजदारी सुमार लेकर  
 पारिस वपतर को। लेख्या ले कम को।

*(Signature)*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़गेर  
राजस्व आवेदन सं 68/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट  
सदराम वगैरा बनाम अशोक कुमार वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई  
विप्रार्थी सं. 22 के वकील- भवानी शंकर

**निर्णय**

दिनांक -

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू.अ.नि. क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्य 449/374 रकबा 0.7608 हैक्ट.,(04.14 बीघा) किस्म बा.सो. स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण संख्या 12 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण 12 के वकील को जवाब के अनेक अवसर दिये। जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू.अ.नि. क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 449/374 रकबा 0.7608 हैक्ट.,( 04.14 बीघा) किस्म वा.सो. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक .....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<b>प्रार्थी</b> 1. सदराम पुत्र काना जाति विश्नोई निवासी आलिसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	<b>बनाम</b>	<b>विप्रार्थीगण</b> 1. अशोक कुमार पुत्र भागीरथ 2.ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ 3. नेमा पुत्री भागीरथ 4. बाबूलाल पुत्र नरसिंगाराम 5. मोहनी पत्नी भागीरथ 6.रुघनाथ पुत्र नरसिंगाराम 7. रामजीवन पुत्र भागीरथ 8. रामलाल पुत्र पेमाराम 9. विमला पुत्री भागीरथ 10. श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ 11. श्रीराम पुत्र पेमा राम जाति विश्नोई निवासी अलिसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 12.अमीनत पुत्री मोहम्मदअली 13. इमामत पत्नी मोहम्मदअली 14. ऐलना पुत्री मोहम्मदअली 15. गुला पुत्र माहबू 16. छुटा पुत्री मोहम्मदअली 17.झुड़ा पुत्र मिया 18.नुरा पुत्री मोहम्मदअली 19.बेगम पुत्री मोहम्मदअली 20.लतीफ पुत्र मियल 22. सफीयत पुत्री ओभाया जातियान मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 24. तहसीलदार सेड़वा।
---	-------------	---

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।**


राजस्व आवेदन संख्या 70/2022

दिनांक : 06/04/23

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा अलिसरों की बस्ती के खेत खसरा संख्या 443 रकबा 2.9704 हैक्ट, (18.07 बीघा) किस्म बा.सो. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
 (रामजी भाई कुम्भारी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (सेड़वा) सेड़वा  
 दिनांक 06/04/23

क्रमांक/भू.अ./2023/553 -56

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी सदराम पुत्र काना जाति विश्नोई निवासी आलिसरों की बस्ती
3. विप्रार्थीगण, अशोक कुमार वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (सेड़वा) सेड़वा